भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

आकाश दीप

शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
मेरठ कॉलिज, मेरठ.

शोध सारांशः– इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में सदियों से महिलाएँ तिरस्कार, अपमान, उत्पीड़न एवं शोषण का शिकार हो रही हैं। महिलाओं की हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं उत्पीड़न की घटनाएं दिनो–दिन बढ़ती जा रही हैं। हिंसा और महिलाओं का संबंध सदियों पुराना है। महिला, जो एक अगरबत्ती के समान जीवन में सुगंध फैलाती है वो आज हिंसा और शोषण के धुएँ में जलकर राख हो रही है। पुरूषों ने युगो–युगों से महिलाओं का शोषण किया है, कभी धर्म, कभी संस्कृति, कभी पत्नी होने, तो कभी महिला होने के नाम पर शोषित किया जाता है।
महिलाएं कमोवेश हर समाज में हिंसा का शिकार रही हैं उनके रूपों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उस हिंसा को महिला सहती है जैसे– कन्या भ्रूण हत्या, बालिका यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, कार्यस्थल पर यौन शोषण एवं घरेलू हिंसा आदि टाइम्स ऑफ इंडिया में 25 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में हर बीस मिनट में महिलाओं से बलात्कार हो रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसा में 2010 से अब तक 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बच्चों के यौन शोषण में पिछले दस वर्षों में 4.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डॉ0 राधाकृष्णन ने लिखा है कि ''शताब्दियों से चली आ रही परम्पराओं ने भारतीय नारी को विश्व की सर्वाधिक निःस्वार्थी सर्वाधिक आत्मत्यागी तथा सर्वाधिक धैर्यवान नारी बना दिया है, कष्ट उठाना ही जिसका आत्म–गौरव है।''
जिस देश की नींव अहिंसा पर रखी गयी हो, वहां लिंग विभेद के आधार पर हिंसा या अपराध को अंजाम दिया जाए, यह शर्मसार करने वाली घटना है। किन्तु लगातार और अन्तहीन हिंसा के फलस्वरूप अर्द्धनारीश्वर समझे जाने वाली भारतीय महिलाओं को अर्द्धमानव भी नहीं समझा जाता। अपने विरूद्ध हो रही हिंसाओं के कारण ही महिलाओं ने दूसरे की बुरी नियति को खुद की नीयत मान लिया है। महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा को रोकने के लिए अब केन्द्र सरकार को गंभीर प्रयास (कठोर कदम) की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र ''भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा'' पूर्णतया प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों पर आधारित होगा।

मुख्य बिन्दूः– महिलाएँ, हिंसा, रिपोर्ट, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, अधिनियम

प्रस्तावनाः–

जिस देश में नारी को देवी के समान पूजा जाता था। आज उसी देश में महिलाओं के साथ शर्मनाक और दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। देश का समाज पुरूष प्रधान है और यहां परिवारों में पुरूषों की अधिकतर चलती है। नारी का आगे बढ़ना, उन्नति करना और उनकी सोच सबके समक्ष रखना कुछ पुरूषों के लिए असहनीय हो जाता है। कुछ ऐसे ही पुरूष घर पर महिलाओं पर रोब जमाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और मारते–पीटते हैं। इस प्रकार के अत्याचार और अपराध निंदनीय हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा, देश की प्रगति में बाधक बन कर खड़ी है। आये दिन कुछ ससुराल में शिक्षित महिलाओं को भी दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता हैं कहीं तो महिलाओं से दहेज ना मिलने के कारण उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। दिल कॉप उठता है यह सुनकर, जब देश इतना शिक्षित हो रहा है, उन्नति कर रहा है, मगर महिलाओं के साथ इतनी हैवानियत क्यों? दिल्ली, देश की राजधानी और दूसरे राज्यों में भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही हैं। कई लड़कियों का जबरन अपहरण करके उन्हें जिस्मफरोशी के धन्धे में धकेल दिया जाता है। महिलाओं को गलत सोच से देखने वाले, कुछ गन्दी मानसिकता रखने वाले पुरूष समाज में रहते हैं। ऐसे पुरूष महिलाओं को कमजोर समझते हैं और उनका सम्मान नहीं करते है। फिर मौका पाकर इस तरीके के लोग अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हैं। निर्भया बलात्कार केस से पूरा देश दहल गया था। इस भयानक हिंसा ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वाकई महिला देश में असुरक्षित है? आये दिन महिलाओं से जुड़े अपराधों में वृद्धि हो रही है। यह एक विकट गंभीर समस्या है।
हिंसा के कई केस रोज दर्ज हो रहे हैं। महिलाओं को इतना पीटा जाता है कि वह अस्पताल तक पहुंच जाती है। अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ महिलाएं यह चुपचाप सहन करती रहती हैं। कई परिवार में लड़कियों को बोझ माना

जाता है, इसलिए माँ के पेट में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या कानून जुर्म है। यह एक निंदनीय अपराध है जो लोग अक्सर बेटा पाने के लिए करते हैं। पहले के जमाने में लोग सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का पालन किया करते थे। इसके मुताबिक अगर पति की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसके साथ ही महिला को जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता था। इसके विरूद्ध राजाराम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने आवाज उठायी थी। यह एक सामाजिक हिंसा है। वर्तमान समय में सती प्रथा का प्रचलन नहीं है, मगर फिर भी आज कई हिस्सों में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई है। महिला के विरूद्ध हिंसा के दो पक्ष होते हैं। एक जो हिंसा का शिकार होती है और दूसरा जिसके द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है या हिंसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सोमन–द–बुआ के अनुसार ''महिला पैदा नहीं होती अपितु समाज द्वारा बनाई जाती है।''[1]

मनुस्मृति के द्वारा ''यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः, जहां महिलाओ ंका आदर, सम्मान होता है वहां देवी–देवताओं का वास होता है।''[2]

धर्म से लेकर समाज तक सभी जगह पुरूषवाद का दबदबा है ऐसे में स्त्रियों के अधिकार और उनकी इच्छा–अनिच्छा की परवाह करने का भला सवाल ही कहा उठता है। जब तक समाज का नजरियां स्त्रियों के प्रति नहीं बदलेगा, तब तक महिला हिंसा अपराधियों को सिर्फ सजा देने से तस्वीर नहीं बदलने वाली। बलात्कार की लगातार होती घटनाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ऐसी निर्मम सच्चाई है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि 21वीं सदी का सफर करते जिस भारत में अर्थव्यवस्था और विकास की नई ऊँचाईयाँ छूने की बाते मुख्यधारा के विमर्श के केन्द्र में हैं, वहीं आज भी यहां महिलाएं हर रोज बहुस्तरीय जोखिम के बीच अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? किस वजह से एक महिला का सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं है? दूरदराज के इलाकों की हालात तो दूर, शहरों, महानगरों और यहां तक की देश की राजधानी में भी अगर महिलाएं सुरक्षित और सहज जिंदगी को लेकर निश्चित नहीं है तो यह किस तरह का विकास है?

भारतीय समाज में महिलाओं के दुःखः–

आज तुम्हे मैं हर बात बताऊँगी घर–कर गयी वो भयानक रात बताऊँगी बदन पर दिये गये हर जख्म का राज बताऊँगी, सीने में चुभे हर शूल का दर्द बताऊँगी। मेरे संस्कारों के नाम पर अपना जल्लूश दिखाऊँगी, लाचार हुए अपने वजूद को बिकते हुए अपने अस्तित्व को दिखाऊँगी, आज तुम्हे मैं अपना हर दर्द बताऊँगी। मणिपुर हिंसा से जिस तरह के हालात बने थे वो देश के लिए चिंता का विषय था। रूक–रूक कर हो रही हिंसा से जनधन की बड़ी हानि हो रही है। सबसे दुःखद बात यह है कि आए दिन हो रही इन घटनाओं में जिस तरह महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, वह अमानवीय और पाशर्विक प्रवृत्ति उजागर करती है। महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण की घटनाएँ बेहद चिंताजनक हैं। मणिपुर हिंसा की तरह ही राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने का दुःखद मामला सामने आया है। इसी तरह का मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है, राखी बांधकर घर वापस आ रही दो सगी बहनों से दरिंदगी की गयी। चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 10 आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। अभी हाल ही (19 दिसंबर 2023) को दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक 14 वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और हत्या के बाद शव को नहर में फैंक दिया, 14 वर्ष की उम्र में बच्ची ने ऐसा कौन–सा गुनाह किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली, हे भगवान आपकी लीला भी अनोखी है। एक **दार्शनिक** ने कहा है कि ''महिला एक ऐसा प्राणी है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, अपना कोई घर नही। वह बचपन में माता–पिता की दयादृष्टि पर निर्भर रहती है, युवावस्था में पति की दयादृष्टि पर और वृद्धावस्था में पुत्रों की दयादृष्टि पर निर्भर हो जाती है।''[3] **मैथिलीशरण गुप्त** ने कहा है कि

''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी''[4]

हिंसा जो सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। आज महिलायें एक तरफ नई सफलता के आयाम गढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज भी कई महिलायें जघन्य हिंसा और अपराध की शिकार हो रही हैं। हद तो ये है कि महिलायें अपने ही घर की चार दीवारी में भी खुद को महफूज़ नहीं समझती, सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंसा सिर्फ वो नहीं जो महिलाओं के शरीर को चोट पहुंचाती है, हिंसा वो भी है जो मान–सम्मान पर दाग लगाती है, हिंसा वो भी है जो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के जो आंकड़े वर्ष 2022 में आए हैं उनके मुताबिक पिछले छः वर्ष में 2015 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध थे उसमें 38.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा विश्व स्तर पर व भारतीय समाज में कोई नहीं बात नहीं। प्राचीन समय में महिलाएं विभिन्न रूपों में यात्रा और शोषण का शिकार होती रही हैं। बहुत सी संस्कृतियों में स्त्रियों को पुरूषों से कम दर्जा दिया जाता है। दरअसल उनके साथ भेदभाव करने का रवैया, समाज में कूट–कूटकर भरा है। उनके खिलाफ की जाने वाली हर प्रकार की हिंसा एक ऐसी समस्या बन गयी है, जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही है यहां तक कि अमीर देशों में भी

यह समस्या देखने को मिल रही है।
संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी–जनरल **कोफी अन्नान** ने कहा था कि ''दुनिया के कोन–कोने में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है। हर समाज और हर संस्कृति की महिलाएं इस जुल्म की शिकार हो रही हैं। वे चाहे किसी भी जाति, राष्ट्र, समाज या तबके की क्यों न हो, या उनका जन्म चाहे जहां भी हुआ हो, वे हिंसा से अछूती नहीं हैं।''[5]
राधिका कुमार स्वामी जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विषय पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग (UNCHR) की खास रिपोर्टर रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि ''यह एक ऐसा विषय है, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। समाज में इस अपराध पर पर्दा डाला जाता है और वह जिंदगी की एक बहुत ही शर्मनाक सच्चाई है।''[6]
हॉलैंड की एक संस्था (जो इस बात का अध्ययन करती है कि महिलायें अपने किस व्यवहार से अपराध की शिकार होती हैं) ने जो आंकड़े जारी किए, वे दिखाते हैं कि ''दक्षिण अमेरिका के एक देश में 23 प्रतिशत महिलाएं, यानि हर 4 महिलाओं में से करीब 1 किसी न किसी तरह की हिंसा का शिकार होती है।''[7]
वर्तमान समय में महिलाओं को पुरूषों के समान समझा जरूर जाने लगा है परंतु अब भी अलग–अलग क्षेत्रों में और समाजों में दोनो की स्थिति काफी भिन्न है। समाज में प्रचलित रीति–रिवाज, प्रतिमान, विचारधाराएँ महिलाओं के उत्पीड़न (हिंसा) के मुख्य कारक हैं।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की प्रकृतिः–

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा की प्रकृति को निम्न रूप से समझा जा सकता है–

1. घरेलू हिंसा
- दहेज के कारण की जानी वाली हिंसा और कभी–कभी मृत्यु।
- पत्नि को मारना–पीटना
- लैंगिक दुर्व्यवहार
- वृद्ध महिलाओं और विधवाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार।

2. अपराधी हिंसा
- अपहरण
- हत्या
- बलात्कार

3. सामाजिक हिंसा
- महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़
- सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा न देना
- दहेज के कारण पत्नि और पुत्रवधु को प्रताड़ित करना
- कन्या भ्रूण हत्या के लिए महिला पर दबाव डालना

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा से सम्बन्धित कुछ पूर्व आंकड़ेः–

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ है कि ''महिलाओं को सुरक्षा उपलबध कराने के बावजूद भी 2014 में प्रतिदिन 100 महिलाओं से बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौन शोषण की शिकार हुईं।''[8] रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में ''केन्द्र शासित और राज्यों को मिलाकर कुल 36,735 मामले दर्ज हुए। यह भी तथ्य उजागर हुआ है कि प्रत्येक वर्ष बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई है।''[9] यानि इसका मतलब यह हुआ कि पुरूषों को **महिला अत्याचार विरोधी कानून** का खौफ ही नहीं है या यो कहें कि कानून का ईमानदारी से पालन ही नहीं हो रहा है।
आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक ''वर्ष 2004 में बलात्कार के कुल 18,233 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 21,397 हो गया। इसी तरह वर्ष 2012 में 24,923 मामले दर्ज किए गए और 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 27,567 हो गया।''[10] राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट पर गौर फरमाए तो वर्ष 2014 के रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश सबसे अधिक असुरक्षित राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2014 में यहां सबसे अधिक 5076 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इसी तरह राजस्थान में 3,759, उत्तर प्रदेश में 3,467, महाराष्ट्र में 3,438 और दिल्ली में 2,096 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। आमतौर पर बलात्कार के कारणों में अशिक्षा को भी जिम्मेदार माना जाता है लेकिन विडंबना है कि सम्पूर्ण साक्षरता के लिए जाना जाने वाला राज्य केरल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यहां भी 2014 में 1,347 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किये गये।
यूनिसेफ की रिपोर्ट **''हिडेन इन प्लेन साइट''** से उजागर हुआ है कि ''भारत में 15 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र वाली 34

फीसदी विवाहित महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होनें अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 वर्ष से 19 वर्ष तक की उम्र वाली 77 प्रतिशत महिलाएं कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा यौन संबंध बनाने या अन्य किसी यौन क्रिया में जबरदस्ती का शिकार हुई हैं।''[11] इस तरह 15 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र वाली लगभग 21 फीसदी महिलाएं 15 वर्ष की उम्र में ही हिंसा की शिकार हो जाती हैं। 15 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र में ही 41 फीसदी लड़कियों ने 15 वर्ष की उम्र में अपनी माँ या सौतेली माँ के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है जबकि 18 फीसदी ने अपने पिता या सौतेले पिता के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है।

इस समय देश में तकरीबन 95,000 से अधिक बलात्कार के मुकदमें अदालतों में लंबित हैं। भारत में प्रति घण्टे में 22 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। ये वे आंकड़े हैं जो पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं। अधिकांश मामले में तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती ही नहीं है। दूसरी ओर लोकलाज के कारण भी ऐसे मामलों को पीड़ितों के परिजनों द्वारा दबा दिया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2021 की रिपोर्टः–

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने वर्ष 2021 के जो आंकड़े पेश किये हैं, वे बेहद चौकाने वाले हैं। यूपी महिला अपराध, दहेज हत्या और दलित उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर वन है। यूपी में वर्ष 2021 में महिला अपराध के 56,083 मामले दर्ज किए हैं। इसके बाद राजस्थान में 40,738 मामले दर्ज हुए हैं। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहीं देश में दहेज हत्या के 6,628 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से सर्वाधिक 2,235 मामले यूपी के हैं। वहीं 48 मामले रेप अथवा गैंगरेप के साथ हत्या के हैं। दूसरे नंबर पर असम है, जहां 47 मामले सामने आए हैं। मध्य–प्रदेश में 38 मामले रेप व गैंगरेप के साथ मर्डर के सामने आए। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर है, यहां वर्ष 2021 में 6,337 मामले दर्ज किए गए। दूसरे नम्बर पर मध्य प्रदेश 2,947 और तीसरे नम्बर पर यूपी है जहां 2845 मामले दुष्कर्म के दर्ज हुए। उधर, दलित उत्पीड़न के सर्वाधिक मामले भी यूपी में ही दर्ज किए गए हैं। यहां 13,146 मामले दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान में 7,524 और तीसरे नम्बर पर 7,214 घटनाओं के साथ मध्य प्रदेश है। यूपी में वर्ष 2020 में दलित उत्पीड़न के मामलों की संख्या 12,714 थी। बड़े शहरों की बात करें तो जयपुर के बाद सबसे अधिक मामले लखनऊ में दर्ज हुए हैं। जयपुर में दलित उत्पीड़न के 361 मामले दर्ज हुए जबकि लखनऊ में 268 मामले दर्ज किए गए।

बाल अपराध, मानव तस्करी व अपहरण के मामले भी बढ़े, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 की तुलना में यूपी में बाल अपराध, मानव तस्करी और अपहरण के मामले बढ़े हैं। वर्ष 2021 में बाल अपराध की 16,838 घटनाएं हुई जबकि वर्ष 2020 में 15,271 घटनाएं हुई थी। इसी तरह वर्ष 2020 में मानव तस्करी में 90 मामले दर्ज थे, वहीं वर्ष 2021 में इन मामलों की संख्या 103 पहुंच गई। वर्ष 2020 में प्रदेश में 12,913 मामले अपहरण के दर्ज हुए थे जबकि वर्ष 2021 में 14,554 मामले दर्ज किए गए।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022:–

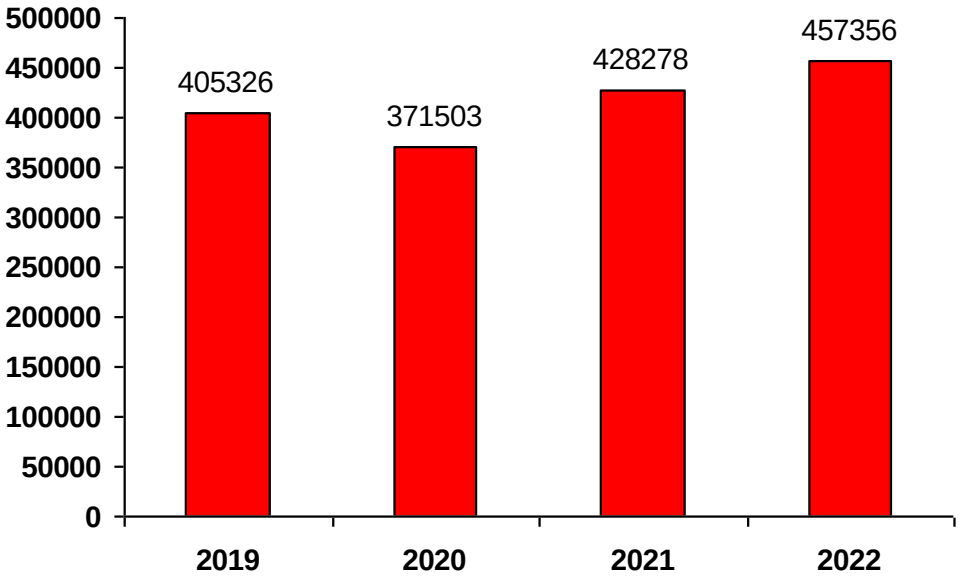

चित्र–1: देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामले

- 2022 में अपराध की दर (प्रति एक लाख आबादी पर) 68.5 प्रतिशत थी।

- ऐसे अपराधों में 77.7 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए।

महिलाओं के खिलाफ अपराधः–

राज्य	मामले दर्ज
उत्तर प्रदेश	56,083
राजस्थान	40,738
महाराष्ट्र	39,526
पश्चिम बंगाल	35,884
ओडिशा	31,352

वर्ष 2022 में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान सबसे आगे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक

- देश में औसतन बलात्कार के 86 मामले रोज सामने आ रहे हैं।
- इस वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 48 मामले प्रति घण्टे दर्ज किए गए।

दुष्कर्म के मामलों

राज्य	मामले दर्ज
राजस्थान	6,337
मध्य प्रदेश	2,947
महाराष्ट्र	2,496
उत्तर प्रदेश	2,845
असम	2,733

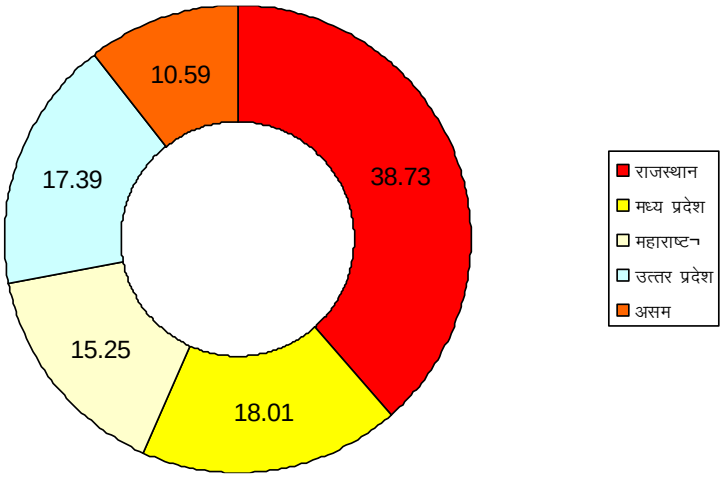

चित्र–2: दुष्कर्म के मामलों की संख्या 16,358

महिलाओं के खिलाफ हर तीसरा अपराध घरेलू हिंसाः–

राज्य	मामले दर्ज
घरेलू हिंसा	1,29,875
किडनैपिंग	93,348
जबरन शादी के लिए किडनैपिंग	85,231
रेप	60,879
अन्य अपराध	36,528

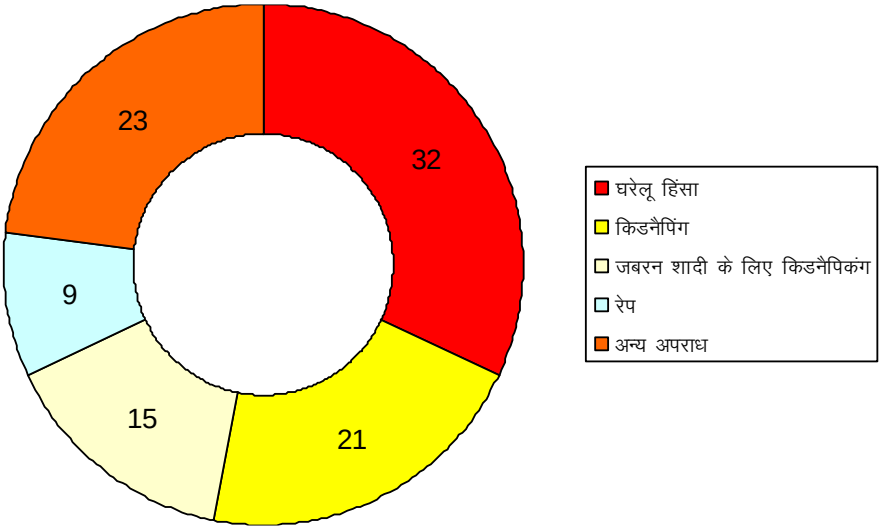

चित्र–3: महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल केस 4,05,861

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट 2023:–

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानि (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट में एक बार फिर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की चिन्ताजनक तस्वीर उभरी है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वर्ष 2022 में महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक घटनाओं के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 था। महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक घटनाओं के ये मामले 2021 की तुलना में करीब चार फीसदी ज्यादा हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' तथा ऐसे ही कई अन्य नारों के जरिए भले सरकार महिला सशक्तिकरण का कितना ही दंभ क्यों न भरे, पर वास्तविकता यही है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में कोई सुधार नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा बढ़े हैं। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर सर्वाधिक बताई गई है।

दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में सर्वाधिक प्राथमिकी दर्ज हुई। हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है, जो लगातार तीसरे साल भी उन्नीस महानगरों में सबसे आगे है। प्रायः सभी राजनीतिक दल चुनावों के दौरान घोषणा करते हैं कि सत्ता में आने के बाद वे महिलाओं की सुरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित करेंगे, मगर हकीकत इससे कोसो दूर है। महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर हर वर्ष सामने आते एनसीआरबी के आंकड़े, हर बार बेहद अफसोसजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि महिलाएं स्वयं को कहीं भी सहज और सुरक्षित महसूस नहीं करती। देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोत्तरी न हुई हो।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के ''मुताबिक देश में 2022 में कुल 58,24,946 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें से 4,45,256 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के हैं। हैरान करने वाली बात है कि महिलाओं पर अपराध के मामलों में अधिकतर पति, प्रेमी, रिश्तेदार या कोई अन्य करीबी शख्स ही आरोपी निकले। इन मामलों में महिलाओं के प्रति या रिश्तेदारों द्वारा 31.4 प्रतिशत क्रूरता, 19.2 फीसदी अपहरण, 18.7 फीसदी बलात्कार की कोशिश और 7.1 प्रतिशत बलात्कार करने के मामले शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बलात्कार के कुल 31,516 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सर्वाधिक 5,399 मामले राजस्थान में, 3,690 मामले उत्तर प्रदेश, 3,029 मध्य प्रदेश, 2,904 महाराष्ट्र और 1,787 मामले हरियाणा में दर्ज किए गए। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में देश की राजस्थानी दिल्ली सबसे आगे है। जहां 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,247 मामले दर्ज किए गए। यहां 2021 में 12,177 और 2020 में 10,093 ऐसे मामले दर्ज हुए थे। दिल्ली में अपराध की उच्चतम दर्ज 144.4 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो देश की औसत अपराध दर 66.4 से बहुत ज्यादा है।''[12]

दिल्ली और राजस्थान जहां महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य हैं वहीं दहेज के लिए जान लेने वालों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पर बिहार है। उत्तर प्रदेश में दहेज के लिए 2,138 और बिहार में 1,057 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जबकि मध्यप्रदेश में 518 राजस्थान में 451 और दिल्ली में 131 महिलाओं की हत्या दहेज के लिए की गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2021 में 64.5 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 66 फीसदी हो गई, जिसमें से 2022 के दौरान उन्नीस महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 48,755 मामले दर्ज किए जो 2021 में 43,414 मामलों की तुलना में 12.3 प्रतिशत ज्यादा हैं।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2023 की आई रिपोर्ट की मानें तो देश में महिलाओं के

विरूद्ध 4 प्रतिशत और बच्चों के विरूद्ध अपराधों में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन घटनाओं से जुड़ी हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज हो रही हैं। स्पष्ट है कि स्थिति चिन्ताजनक है।

एक नजर "दिल्ली महिला आयोग" की रिपोर्ट 2022 पर भीः–

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष **स्वाति मालीवाल** ने इस रिपोर्ट को जारी किया। "रिपोर्ट जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच आयोग के हेल्पलाइन नम्बर पर आई शिकायतों के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में आयोग को 6,30,288 शिकायतें मिलीं। इनमें से 92,004 पर मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 38,342 मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हैं।"[13] इसके बाद पड़ोसियों के साथ झगड़े की 9,516 शिकायतें हैं। इसके अलावा दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के 5,895 मामले, पास्को के 3,647, अपहरण के 4,229 व साइबर अपराध के 3,558 मामले हैं। आयोग को टोल–फ्री हेल्पलाइन नम्बर–181 पर 1,552 गुमशुदा महिलाओं की शिकायतें भी मिली हैं। यह रिपोर्ट केन्द्र और राज्य सरकार को भी भेजी गई, ताकि महिलाओ की सुरक्षा के लिए सरकार कोई कठोर कानून ला सके।

आयु वर्ग में सबसे ज्यादा मामलेः–

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट यह भी बताती है कि सबसे ज्यादा 41.5 फीसदी शिकायतें 21–41 वर्ष की युवतियों की आई हैं, जबकि 31–40 वर्ष की महिलाओं की संख्या 21.8 फीसदी है। 11–20 आयु वर्ग में 18.41 फीसदी और 41–50 वर्ष आयु वर्ग से 7.26 फीसदी मामले सामने आये हैं आयोग को 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की लगभग 4 फीसदी यानि करीब 3,735 शिकायते मिली। इनमें 90 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के 40 मामले शामिल हैं।

दिल्ली के नरेला व भलस्वा डेयरी से सबसे ज्यादा शिकायतेंः–

महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित सबसे अधिक मामले दिल्ली के नरेला व भलस्वा डेयरी क्षेत्र के सामने आए हैं। "नरेला से 2,976, भलस्वा डेयरी से 1,651, बुराडी से 1,523, कल्याणपुरी से 1,371 और जहांगीरपुरी से 1,221 शिकायते आयोग को मिली।"[14]

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किए गए सरकारी प्रयास व कानूनः–

देश में महिलायें जहां एक तरफा सफलता के आयाम छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्याय और हिंसा की भी शिकार हो रही हैं। भारत में महिलाओं को अपराधों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं में सुधार करने हेतु बहुत से कानून बनाए गए हैं। इनमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम–1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम–1961, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम–1984, महिलाओं का अशिष्ट–रूपण प्रतिषेध अधिनियम–1986, गर्भाधारण पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम–1994, सती निषेध अधिनियम–1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम–1990, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम–2005 से पूर्व घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास अपराधिक मामला दर्ज कराने का अधिकार भारतीय दण्ड संहिता–1960, धारा–498(ए) के तहत कारवाई होती थी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम–2013 प्रमुख हैं।

राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई नृशंस सामूहिक बलात्कार की घटना के विरूद्ध राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित आक्रोश की पृष्ठभूमि में दंड विधि (संशोधन) 2013 पारित किया गया और यह कानून अप्रैल 2013 को देश में लागू हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि तेजाबी हमला करने वालों को 10 वर्ष की सजा और बलात्कार के मामले में अगर पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है तो बलात्कारी को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा होगी।

इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करने का भी प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक महिलाओं का पीछा करने और घूर–घूर कर देखने को भी गैर जमानती अपराध घोषित किया है। साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन त्रासदी है कि इन कानूनों के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में घरेलू हिंसा, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज–मृत्यु, अपहरण और अगवा, लैंगिक दुर्व्यवहार और ऑनर किलिंग की घटनाएं लगातार सुनाई दे रही हैं जब तक यौन उत्पीड़न के मामले में शत–प्रतिशत गुनाहगारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे दुष्कृत्य थमने वाले नहीं हैं।

महिला अपराधों में समय से नहीं होता न्यायः–

प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों के 40 प्रतिशत केसों में समय से जांच पूरी नहीं हो पाती है। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के मामलों में 60 दिन के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। इसलिए जिन मामलों में समय से चार्जशीट दाखिल नहीं हो पा रही है, इनमें संबंधित अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि **(NCR)** में इसे दर्ज

करने का केन्द्र ने सुझाव दिया है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए इंवेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल आफेंसेज **(ITSSO)** संचालित है इसके तहत बालिकाओं (पोक्सो एक्ट के केस) और महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी की जाती है। ''इससे संबंधित बीते 1 अप्रैल से 4 अगस्त तक के आंकड़े काफी चौकाने वाले हैं। इसके अनुसार यूपी में महिला यौन उत्पीड़न के 40.02 प्रतिशत मामलों में दो महीने के भीतर जांच पूरी नहीं की गई। आंकड़े यह भी बताते हैं कि इन चार महीने और चार दिन के भीतर 41.27 प्रतिशत मामलें ऐसे रहे जिनकी जांच पूरी नहीं हुई।''[15]

महिलाओं के खिलाफ अपराध पेंडिंग केस **(NJDG)** रिपोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसों का डेटा अब नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड **(NJDG)** पर उपलब्ध है। अगर देशभर की सभी अदालतों की बात की जाए तो यह संख्या पांच करोड़ को पार कर चुकी है। ''देशभर की तमाम अदालतों में कुल 5 करोड़ 5 लाख 69 हजार 129 केस पेंडिंग हैं जिनमें 17 लाख पेंडिंग केस महिलाओं के खिलाफ मामले हैं।''[16]

यौन हिंसा से जुड़े अनेक मामलों में जटिल न्यायिक प्रक्रिया के चलते सुनवाई के खिंचते चले जाने के कारण ही महिला और उसके परिजन हताश हो जाते हैं। विडंबना यह भी है कि देश में हर चार में से एक मामले में ही अपराध सिद्ध हो पाता है। समझना कठिन नहीं कि साथ पाने के मोर्चे पर यह एक निराशाजनक तस्वीर है।

विडंबना है कि घर हो या बाहर एक और महिलाओं से जुड़ी आपराधिक घटनाओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर कानूनी मोर्चे पर सुनवाई से लेकर फैसले की प्रतीक्षा तक में भी स्त्रियों के हिस्से आने वाली पीढा बढ़ी है। सामूहिक बलात्कार से जघन्य मामलों की सुनवाई के लिए भी न केवल तारीख मिलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि फैसला आने में बरसों लग जाते हैं। व्यवस्था से मिली यह अन्तहीन प्रतीक्षा बहुत सारी स्त्रियों का मनोबल तोड़ती है। इन उलझाऊ हालात को देखते कई महिलाएं अपने प्रति हो रहे अत्याचार का विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती हैं। दुःखद यह भी है कि नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुई बर्बरता के मामले में भी यही ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। कम उम्र की बच्चियों के विरूद्ध आपराधिक घटनाओं की गम्भीरता को समझते हुए कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने भी विकृत मानसिकता वाले लोगों को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यौन शोषण या बलात्कार के अपराधियों को लेकर कड़े कानून बनाने पर संसद को विचार करना चाहिए। बच्चियों से बलात्कार के मामलों पर अलग से प्रावधान बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में ''स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना विश्व का कल्याण सम्भव नहीं है।''[17]

निष्कर्ष–

महिलाएं ईश्वर की बनाई सौन्दर्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसलिए शायद लोग महिलाओं को अपने कब्जे में, अपने आश्रय में, अपनी हुकुमत में रखना चाहते हैं। इन्हीं सब कारणों से महिलाएं शोषण का अत्यधिक शिकार बनती हैं। दूसरी तरफ, हमारे भारतीय समाज में लड़कियों को दहेज प्रथा के चलते बोझ समझा जाता है इसलिए कन्या भ्रूण हत्याएं, असुरक्षित गर्भपात होते हैं। कभी–कभी महिलाएं सुंदरता की वजह से भी शारीरिक शोषण का शिकार बनती हैं। जीवन के हर नए पड़ाव पर आने के बाद महिलाओं को नए प्रकार की शोषण प्रणाली से गुजरना होता है। चाहे इसे परंपराओं और रीति–रिवाजों का संस्कृतिकरण कहा जाए या फिर शोषण की अन्तहीन यात्रा। इन सभी समस्याओं और चुनौतियों से बचने के लिए महिलाओं का शिक्षित और अन्तनिर्भर होना जरूरी हैं इसके बाद उन्हें हिंसा और शोषण के विरूद्ध आवाज उठानी चाहिए और सरकार को भी कानून का पालन कठोर तरीके से कराना चाहिए। इसमें विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों, महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस स्टेशन में महिला सेल इत्यादि से मदद ले सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं में हिम्मत, आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। उन्हें हिंसा से बचाने का शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि भारतीय समाज की हर महिला अपने को सुरक्षित रख सके।

सुझाव–

महिला सशक्तिकरण के लिए देश एवं प्रदेशों के स्तर से किए जा रहे सघन प्रयासों के बाद भी वह कौन–सी प्रवृति है, जो लोगों को महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने को उकसाती है? इस संदर्भ में परिवार का समाजशास्त्र बताता है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध एक प्रकार की प्रवृति है जो हिंसा प्रवृत व्यक्तित्व में समाहित रहती है। ऐसे लोग शक्की मिजाज, वासनामय, विवेकहीन, व्याभिचारी, भावनात्मक रूप से अशान्त और ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति में ये लक्षण उसके प्रारम्भिक जीवन में विकसित होते हैं। ऐसे हिंसा प्रवृत लोग अपने जीवन की हताशा के कारण महिलाओं पर वर्चस्व कायम करने के लिए अपराध की ओर प्रवृत होते हैं। लिहाजा इस कड़ी को कमजोर करने के लिए महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानूनों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना होगा। बच्चों के अकेलेपन को दूर करने के लिए परिवारों की संवाद की परम्परा बढ़ाने के साथ–साथ बच्चों को प्रेम और स्नेह का आवरण भी प्रदान करना होगा। सरकारों को भी समग्र रूप में महिलाओं एवं बच्चों से जड़ी संस्थाओं को साथ लेकर इनसे जुड़े कानूनों की जानकारी तथा इन्हीं से जुड़ी योजनाओं में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी** ने वर्ष 2047 में जिस

विकसित भारत का खाका खींचा है, उसका रास्ता आधी आबादी की पूर्ण सुरक्षा और बहुआयामी विकास से होकर ही निकलेगा। इसलिए महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर एक सघन विमर्श की आवश्यकता है।

शोधार्थी की कुछ पंक्तियाँ महिलाओं को समर्पितः–

कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं
तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है
रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है
जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है
अगणित उन अंगारों का आगार दिखाई देती है
धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है
चट्टाने, चिंगारी और अंगार दिखाई देती है
तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो
लेकिन मुझको यह चूड़ी, हथियार दिखाई देती है।

सन्दर्भ सूचीः–

1. रजनी कोठारी, ''भारत में राजनीति'', ओरियंट ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद, संस्करण–2019, पृष्ठ सं0 18
2. शुभ्रा परमार, ''नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार'', ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, संस्करण–2015, पृष्ठ सं0 200–201
3. प्रकाश नारायण नाटाणी, ''महिला संरक्षण एवं न्याय'', बुक एनक्लेव, जयपुर, संस्करण–2007, पृष्ठ सं0 142
4. डॉ0 गौरव त्रिपाठी, डॉ0 कामिनी वर्मा, ''समकालीन भारत में सामाजिक एवं राजनैतिक मुद्दे'', अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, संस्करण–2019, पृष्ठ सं0 128
5. डॉ0 सावित्री माथुर, ''महिला आरक्षण एवं सामाजिक परिवर्तन'', आदित्य पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, संस्करण–2012, पृष्ठ सं0 112
6. जनसत्ता, नई दिल्ली, 05 नवम्बर 2023, पृष्ठ सं0 07
7. डॉ0 नयनेश गढवी, डॉ0 राम सौन्दर्वा, ''21वीं सदी में महिलाओं का बदलता स्वरूप'', पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर, संस्करण–2013, पृष्ठ सं0 231
8. Amarujala.com, 08 नवम्बर 2023, 11:20 Am
9. राष्ट्रीय दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 08 दिसम्बर 2023, पृष्ठ सं0 08
10. जनसत्ता, नई दिल्ली, 06 नवम्बर 2023, पृष्ठ सं0 07
11. हिडेन इन प्लेन साइट, 08 दिसम्बर 2023, 03:38 Pm
12. जनसत्ता, नई दिल्ली, 06 दिसम्बर 2023, पृष्ठ सं0 07
13. Amarujala.com, 07 दिसम्बर 2023, 10:37 Am
14. राष्ट्रीय दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 05 दिसम्बर 2023, पृष्ठ सं0 08
15. www.itsso.com, 07 अगस्त 2023, 02:28 Pm
16. www.njdg.com, 02 दिसम्बर 2023, 01:47 Pm
17. डॉ0 राजबाला सिंह, ''मानवाधिकार और महिलाएँ'', आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, संस्करण–2006, पृष्ठ सं0 84